

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक  
आयोग, भोपाल का धारा 4(1)(b) के अंतर्गत स्वप्रेरणा प्रकटन  
(Suomoto Disclosure)**

स.क्र.	विवरण
1.	कार्य एवं कर्तव्य
2.	अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य
3.	निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
4.	कार्य के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड
5.	नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख, कार्य के निर्वहन के लिए मैनुअलों और रिकॉर्डों की सूची जिनका उपयोग कार्यों के निर्वहन के लिए किया जाता है
6.	नियंत्रण में रखे गए अधिकारिक दस्तावेजों
7.	नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व (निरंक)
8.	समितियों के बारे में जानकारी (निरंक)
9.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका
10.	अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, विनियमों में प्रदान की गई प्रणाली की क्षतिपूर्ति सहित
11.	प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें योजनाएं आदि शामिल हैं
12.	सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का प्रबंध (निरंक)
13.	रियायतें, परमिटिया के प्राप्तकर्ता के विवरण, लोकप्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अनुदान (निरंक)
14.	इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपलब्ध सूचना (निरंक)
15.	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, पुस्तकालय/रिडिंग रूम इत्यादि
16.	सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोकसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विवरण
17.	अन्य उपयोग जानकारी (निरंक)

18.	निविदाएं (निरंक)
19.	सार्वजनिक निजी साझेदारी (निरंक)
20.	स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश (निरंक)
21.	आरटीआई आवेदन प्राप्त एवं निराकरण
22.	सीएजी और पीएसी पैरा (निरंक)
23.	सेवा प्रदाय एक्ट
24.	डिस्केशनरी और नॉन-डिस्केशनरी अनुदान (विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान) (निरंक)
25.	सीएम/मंत्रियों/अधिकारियों के विदेशी दौरे (निरंक)

## आयोग के कृत्य

अधिनियम की धारा 9(1) के अंतर्गत-

- (क) राज्य के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना,
- (ख) संविधान में और संसद तथा राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबंधित रक्षोपायों के कार्य को मानिटर करना,
- (ग) राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा के लिए रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना,
- (घ) अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के बारे में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करना और ऐसे मामलों को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समुचित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना,
- (ङ.) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनको दूर करने के लिए अद्युपायों की सिफारिश करना,
- (च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना,
- (छ) किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सम्बंध में ऐसे समुचित अद्युपाय का सुझाव देना जो राज्य सरकार द्वारा किए जाने चाहिए,
- (ज) अल्पसंख्यकों से सम्बंधित किसी विषय पर और विशिष्टतया उन कठिनाइयों पर, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है राज्य सरकार को नियतकालिक या विशेष रिपोर्ट देना, और
- (झ) कोई अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु यदि आयोग द्वारा की गई कोई सिफारिश राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य से सम्बंधित किसी मामले पर की गई सिफारिश के विरुद्ध है तो उस दशा में राज्य आयोग द्वारा की गई सिफारिश अभिभावी होगी।

## अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य

स. क्र.	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	पदनाम	आवंटित कार्य
1.	सुश्री लता शरणागत	सचिव (अतिरिक्त प्रभार)	लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख, सचिव के रूप में कार्य
2.	श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव	निज सचिव	प्रभारी विविध/शिकायत शाखा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदाय से पत्राचार, समन्वय एवं आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन।
3.	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	स्टेनोग्राफर	आयोग कार्यालय की समस्त नस्त्रियों को उनके माध्यम से सचिव को प्रस्तुत की जावेगी।
4.	श्री सेम जार्ज	सहायक वर्ग-दो	प्रभारी भण्डार शाखा, स्थापना शाखा, पुस्तकालय शाखा, समन्वय, कार्यक्रम।
5.	श्री कुणाल सूर्यवंशी	सहायक वर्ग-तीन	विविध/शिकायत शाखा (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, नर्मदापुरा संभाग), भण्डार शाखा, वाहन शाखा, सी0एम0 हेल्पलाइन, सी0एम0 मॉनिट ।
6.	श्री ओमप्रकाश अहिरबार	सहायक वर्ग-तीन	लेखा शाखा, विधान सभा/लोक सभा, कोर्ट केस, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्य, विविध/शिकायत शाखा (उज्जैन, सागर, रीवा, शहडोल, चम्बल संभाग)।



मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996

(संशोधनों सहित)



मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग  
ई-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल-462001

## मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्र. 472, भोपाल मंगलवार, दिनांक 1 अक्टूबर 1996 - आश्विन 9, शके 1918

### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 15 सन् 1996

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996

#### विषय - सूची

धाराएं :-

#### अध्याय - 1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2. परिभाषाएं

#### अध्याय- 2 मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग

3. मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन
4. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें
5. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी
6. वेतन और भत्तों का अनुदानों में से संदाय
7. रिक्तियों, का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना
8. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

#### अध्याय - 3 आयोग के कृत्य

9. आयोग के कृत्य

#### अध्याय -4 वित्त, लेखा और संपरीक्षा

10. राज्य सरकार द्वारा अनुदान
11. लेखे और संपरीक्षा
12. वार्षिक रिपोर्ट
13. वार्षिक रिपोर्ट का विधानसभा के समक्ष रखा जाना

#### अध्याय - 5 प्रकीर्ण

14. आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना
15. नियम बनाने की शक्ति
16. कठिनाइयों को दूरी करने की शक्ति

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 15 सन् 1996

### मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996

दिनांक 26 सितम्बर, 1996 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति 'मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)' में दिनांक 1 अक्टूबर, 1996 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।

राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के सैंतालिसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम है:-

#### अध्याय- 1 प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 है। संक्षिप्त नाम  
विस्तार और  
प्रारम्भ
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।
- (3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:- परिभाषाएं
  - (क) 'आयोग' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग
  - (ख) 'सदस्य' से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य
  - (ग) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये अल्पसंख्यक से अभिप्रेत है \*
    - (एक) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का सं. 19) के प्रयोजन के लिए इस रूप में अधिसूचित किया गया समुदाय या
    - (दो) राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया कोई समुदाय

#### अध्याय- 2 मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग

3. (1) राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगी और उसे समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करेगा मध्यप्रदेश  
राज्य अल्पसंख्यक  
आयोग का गठन
- (2) आयोग एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और चार सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें \*\*

\* मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम 2001 (क्रमांक 11 सन् 2001) के (स.प्र. राजपत्र-असाधारण- दिनांक 17 अप्रैल, 2001 में प्रकाशित) द्वारा धारा 2 के खण्ड (ग) में संशोधन किया जाकर कंठिका (दो) को सम्मिलित किया गया।

\*\* मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम 2002 (क्रमांक 4 सन् 2003) के (स.प्र. राजपत्र- असाधारण- दिनांक 31 जनवरी, 2003 में प्रकाशित) द्वारा धारा 3 में संशोधन किया जाकर शब्द 'दो सदस्यों' के स्थान पर शब्द 'चार सदस्यों' स्थापित किया गया।



राज्य सरकार द्वारा विख्यात, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, परन्तु अध्यक्ष तथा एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे।

4. (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिसको कि वह पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।
- (2) अध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा राज्य सरकार को सम्बोधित करते हुए यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद को त्याग सकेगा।
- (3) राज्य सरकार उपधारा 2 में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी, यदि वह व्यक्ति-
- क. अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है,
  - ख. किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलिन है, दोष सिद्ध हो जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है,
  - ग. विकृतचित्त हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है,
  - घ. कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है,
  - ङ. आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना आयोग के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है, या
  - च. राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहित में अपायकर हो गया है,

परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई व्यक्ति तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है।

- (4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति नये नाम निर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

अध्यक्ष और  
सदस्यों की  
पदावधि और सेवा  
की शर्तें

- (5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाएं।
- आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी
5. राज्य सरकार आयोग के लिए एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जैसी कि इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिये आवश्यक है।
- वेतन और भत्तों का अनुदानों में से संदेय
6. अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं, धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय किए जाएंगे।
- रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना
7. आयोग के किसी कार्य या कार्यवाही को आयोग में केवल किसी रिक्ति के होने या उसके गठन में किसी त्रुटि के आधार पर प्रश्रुत नहीं किया जाएगा और न ही वह अविधिमान्य होगा।
- प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना
8. 1. आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा।  
2. आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।  
3. आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

### अध्याय - ३ आयोग के कृत्य

- आयोग के कृत्य
9. 1. आयोग निम्नलिखित समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्-
- क. राज्य के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना,
- ख. संविधान में और संसद तथा राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबंधित रक्षोपायों के कार्य को मानिटर करना,
- ग. राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा के लिए रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना,

- घ. अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के बारे में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करना और ऐसे मामलों को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समुचित प्राधिकारियों के सपक्ष प्रस्तुत करना,
- ङ. अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनको दूर करने के लिए अधुपायों की सिफारिश करना,
- च. अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना
- छ. किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सम्बंध में ऐसे समुचित अधुपाय का सुझाव देना जो राज्य सरकार द्वारा किए जाने चाहिए,
- ज. अल्पसंख्यकों से सम्बंधित किसी विषय पर और विशिष्टतया उन कठिनाइयों पर, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है राज्य सरकार को नियतकालिक या विशेष रिपोर्ट देना, और
- झ. कोई अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु यदि आयोग द्वारा की गई कोई सिफारिश राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य से सम्बंधित किसी मामले पर की गई सिफारिश के विरुद्ध है तो उस दशक में राज्य आयोग द्वारा की गई सिफारिश अर्धिभावी होगी।

2. आयोग को उपधारा (1) के उपखण्ड (ख) और (घ) में वर्णित कृत्यों में से किसी का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी,

अर्थात:-

- क. राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,
- ख. किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना,

- ग. शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना,
- घ. किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना
- ड. साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, और
- च. कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

### अध्याय - ४ - वित्त, लेखा और संपरीक्षा

राज्य सरकार  
द्वारा अनुदान

10. 1. राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त सम्यक विनियोग किये जाने के पश्चात आयोग को अनुदानों के रूप में उतनी धनराशि का संदाय करेगी जितनी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किए जाने के लिये ठीक समझे।
2. आयोग उतनी धनराशि खर्च कर सकेगा जितनी वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये ठीक समझे और वह धनराशि उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों में से सदेय व्यय माना जाएगा।

लेखे और  
संपरीक्षा

11. 1. आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के महालेखाकार के परामर्श से विहित किया जाए।
2. आयोग के लेखाओं के संपरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तराल पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा से संबंधित कोई व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को सन्देय होगा।
3. महालेखाकार तथा उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बंध में नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो साधारणतया महालेखाकार को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बंध में होते हैं और विशिष्टतया बहियों, खातों,

सम्बंधित बाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज - पत्रों को पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

12. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण होगा, ऐसे प्रारूप में और ऐसी तारीख तक जैसा कि विहित किया जाए, तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।
13. राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ उसमें अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन और ऐसी सिफारिशों में से किसी के अस्वीकार करने के कारण, यदि कोई हों और संपरीक्षा रिपोर्ट, रिपोर्ट के प्राप्त होने, के पश्चात् यथासक्य शीघ्र विधानसभा के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट का  
विधानसभा के  
समक्ष रखा जाना.

#### अध्याय - 4 प्रकीर्ण

14. आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।
15.
  1. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।
  2. विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिये उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-
    - क. धारा 4 की उपधारा 5 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय लेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;
    - ख. धारा 9 की उपधारा 2 के खण्ड च के अधीन कोई अन्य विषय ;
    - ग. वह प्रारूप जिसमें धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन लेखा रखा जाएगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा,
    - घ. वह प्रारूप जिसमें और वह तारीख जिस तक वार्षिक रिपोर्ट धारा 12 के अधीन तैयार की जाएगी,

आयोग के अध्यक्ष  
सदस्यों और  
कर्मचारिवृन्द का  
लोक सेवक होना.

नियम बनाने की  
शक्ति

कठिनाईयों को  
दूर करने की  
शक्ति

ड. कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए,

3. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

16. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

**भोपाल दिनांक 1 अक्टूबर 1996**

क्र. 8975 - इकीस - अ(प्रा.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अधिनियम, 1996 क्रमांक 15 सन् 1996 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
टी.पी.एस.पिल्लई, अतिरिक्त सचिव

## **MADHYA PRADESH ACT**

NO. 15 OF 1996

### **THE MADHYA PRADESH RAJYA ALPASANKHAYAK AYO ADHINTYAM, 1996.**

#### **TABLE OF CONTENTS**

##### **Section :**

##### **CHAPTER - I PRELIMINARY**

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

##### **CHAPTER II - THE MADHYA PRADESH STATE COMMISSION FOR MINORITIES**

3. Constitution of the Madhya Pradesh State Commission for Minorities.
4. Terms of Office and conditions of service of Chairperson and Members.
5. Officers and other employees of the Commission.
6. Salaries and allowances to be paid out of grants.
7. Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of the Commission.
8. Procedure to be regulated by the Commission.

##### **CHAPTER III- FUNCTION OF THE COMMISSION**

9. Function of the Commission.

##### **CHAPTER IV - FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT**

10. Grants by the State Government.
11. Accounts and Audit.
12. Annual Report.
13. Annual Report to be laid before the Assembly.

##### **CHAPTER V - MISCELLANEOUS**

14. Chairperson, Members and Staff of the Commission to be public servants.
15. Power to make rules.
16. Power to remove difficulties.

## MADHYA PRADESH ACT

NO. 15 OF 1996

### THE MADHYA PRADESH RAJYA ALPASANKHAYAK AYO ADHINIYAM, 1996.

(Received the assent of the president of the 26th September, 1996 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 1st October, 1996.)

An Act to constitute a State Commission for Minorities and to provide for matter connected therewith of incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh State Legislature in the fortyseventh year of the Republic of India as follows:-

#### CHAPTER - I PRELIMINARY

*Short title  
extent and  
commence-  
ment*

1. (1) This Act may called the Madhya Pradesh Rajya Alpasankhyak Ayog Adhinyam, 1996.
- (2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

*Definitions.*

2. In this Act, unless the context otherwise requires:-
  - (a) "Commission" means the Madhya Pradesh State Commission for Minorities constituted under Section 3;
  - (b) "Member" means a Member of the Commission;
  - (c) "Minority" for the purpose of this Act, means \*
    - (1) A community notified as such by the Central Government for the purpose of the National Commission for minorities Act, 1992 (No. 19 of 1992).
    - (2) A community notified as such by the State Government.

*Constitution  
of the  
Madhya  
Pradesh  
State Com-  
mission for  
Minorities*

#### CHAPTER - II THE MADHYA PRADESH STATE COMMISSION FOR MINORITIES

3. (1) The State Government shall constitute a body to be known as the Madhya Pradesh State Commission for Minorities to exercise the power conferred on and to perform the function assigned to it under this Act.
- (2) The Commission shall consist of a Chairperson and Four members to be nominated by the State Government from amongst persons of eminece, ability and integrity: \* \*

\* (C) of section 2 has been amended by the Madhya Pradesh Rajya Alpasankhyak Ayog (Sansodhan) Adhinyam 2001 (no. of 2001) Published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) Dated 17th April, 2001

\* \* Sub section 2 of section 3 has been amended by the Madhya Pradesh Rajya Alpasankhyak Ayog (Sansodhan) Adhinyam 2002 (no. of 4 of 2003). Published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) Dated 31st January, 2003



Provided that the Chairperson and one member shall be from amongst the minority communities.

4. (1) The Chairperson and every member shall hold office for a term of three years from the date he assumes charge.
- (2) The Chairperson or a Member may, by writing under his hand addressed to the State Government, resign from the office of Chair person or, as the case may be, of the Member at any time.
- (3) The State Government shall remove a person from the office of Chairperson or a Member referred to in sub-section (2) if that person:-
  - (a) becomes an undischarged insolvent;
  - (b) is convicted and sentence to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involve moral turpitude;
  - (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;
  - (d) refuses to act or becomes incapable of acting;
  - (e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or
  - (f) has, in the opinion of the State Government so abused the position of Chairperson or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of minorities of the public interest;

Provided that no person shall be removed under this clause until he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.
- (4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh nomination.

*Terms of office and conditions of service of Chairperson and Members.*

*Officers and other employees of the Commission*

(5) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson and members shall be such as may be prescribed.

*Salaries and allowances to be paid out of grants.*

5. The State Government shall provide the Commission with a secretary and such other officers and employees as may be necessary of the efficient performance of the functions of the Commission under this Act.

*Vacancies, etc, not to invalidate proceedings of the Commission.*

6. The salaries and allowances payable to the Chairperson and Members and the Administrative expenses, including salaries and allowances payable to the officers and other employees shall be paid out of the grants referred to the sub-section (1) of Section 10.

*Procedure to be regulated by the Commission*

7. No act or proceeding of the Commission shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the Constitution.

8. (1) The headquarters of the Commission shall be at Bhopal.

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.

### **CHAPTER III- FUNCTION OF THE COMMISSION**

*Functions of the Commission.*

9. (1) The Commission shall perform all or any of the following functions, namely:-

(a) Evaluate the progress of the development of minorities under the state;

(b) Monitor the working of the safeguards provided in the Constitution and in laws enacted by the Parliament and the State Legislature;

(c) Make recommendations for the effective imple-

mentation of safeguards for the protection of the interests of minorities by the State Government.

- (d) Look into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of the minorities and take up such matters with appropriate authorities under the control of the State Government.
  - (e) Cause studies to be undertaken into problems arising out of any discrimination against minorities and recommend measures for their removal;
  - (f) Conduct studies, research and analysis on the issue relating to socioeconomic and educational development of minorities;
  - (g) Suggest appropriate measures in respect of any minority to be undertaken by the State Government;
  - (h) Make periodical or special reports to the State Government;
  - (i) Any other matter which may be referred to it by the State Government; Provided that if any recommendation made by the Commission is repugnant to the recommendation made by the National Commission for Minorities on any matter relating to the State of Madhya Pradesh then recommendation made by the State Commission shall prevail.
- (2) The commission shall, while performing any of the functions mentioned in sub-clauses (a), and (d) of sub-section (1) have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely:-
- (a) Summoning and enforcing the attendance of

any person from any part of the State and examining him on oath;

- (b) Requiring the discovery and production of any document;
- (c) Receiving evidence on affidavits;
- (d) Requisitioning any public record or copy thereof from any office;
- (e) Issuing commission for examination of witnesses and documents; and
- (f) Any other matter which may be prescribed.

#### **CHAPTER IV - FINANCE ACCOUNTS AND AUDIT**

*Grants by  
the State  
Government*

- 10. (1) The State Government, shall after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the commission by way of grants such sums of money as State Government may think fit for being utilised for the purpose of this Act.
- (2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the function under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in subsection (1).

*Accounts  
and  
Audit.*

- 11. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of account in such form as may be prescribed by the State Government in consultation with the Accountant General, Madhya Pradesh.
- (2) The Account of the Commission shall be audited by the Accountant General at such intervals as may be specified by him and any expenditure in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Accountant General.
- (3) The Accountant General and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts

of the Commission under this Act shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Accountant General generally has connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Commission.

12. The Commission shall prepare, in such form and by such date for each financial year, as may be prescribed, its annual report giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.

*Annual Report*

13. The State Government shall cause the annual report together with a memorandum of action taken on the recommendations contained therein, and the reasons for the non-acceptance, if any of such recommendations and the audit report to be Laid as soon as may be after the report is received, before the Legislative Assembly.

*Annual Report to be laid before the Assembly*

14. The Chairperson, Members and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code.

*Chairperson, Members and Staff of the Commission to be public servants.*

15. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

*Power to make Rules.*

- (2) In Particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matter, namely:-

- (a) Salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of service of the Chairperson and Members under sub-section

*Power to  
remove  
difficulties.*

- (5) of Section 4;
  - (b) any other matter under clause (f) of sub-section (2) of section 9;
  - (c) The form in which the account shall be maintained and the annual statement of account shall be prepared under sub-section (1) of Section 11;
  - (d) The form in and the date by which the annual report shall be prepared under section 12;
  - (e) Any other matter which is required to be or may be prescribed.
- (3) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after is made before the legislative Assembly.

16. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of the Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

## अधिकारिक दस्तावेजों की जानकारी निम्नानुसार है

- शिकायतें।
- वार्षिक रिपोर्ट।
- सिफारिशें।

## अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का पता	कार्यालय का दूरभाष नंबर/ ई-मेल
1.	सुश्री लता शरणागत	सचिव	ई-ब्लॉक पुराना सचिवालय, भाप्राल	0755-2730873 secretary.mpsmc@mp.gov.in
2.	श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव	निज सचिव	ई-ब्लॉक पुराना सचिवालय, भाप्राल	0755-2730873 shrivastava.sk@mp.gov.in
3.	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	स्टेनाग्राफर	ई-ब्लॉक पुराना सचिवालय, भाप्राल	0755-2730873 shrivastava-rk@mp.gov.in
4.	श्री सेम जार्ज	सहायक वर्ग-द	ई-ब्लॉक पुराना सचिवालय, भाप्राल	0755-2730873
5.	श्री कुणाल सूर्यवंशी	सहायक वर्ग-तीन	ई-ब्लॉक पुराना सचिवालय, भाप्राल	0755-2730873 kunal.suryavanshi@mp.gov.in
6.	श्री ओमप्रकाश अहिरबार	सहायक वर्ग-तीन	ई-ब्लॉक पुराना सचिवालय, भाप्राल	0755-2730873 omprakash.ahirbar@mp.gov.in
7.	श्री अजय कुमार कटियार	वाहन चालक	ई-ब्लॉक पुराना सचिवालय, भाप्राल	0755-2730873
8.	श्री शम्भू दयाल	भृत्य	ई-ब्लॉक पुराना सचिवालय, भाप्राल	0755-2730873



स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का पता	कार्यालय का दूरभाष नंबर/ ई-मेल
9.	श्री जगत सिंह	भृत्य	ई-ब्लॉक पुराना सचिवालय, भाप्राल	0755-2730873
10.	श्रीमती जनक दुलारी कटेन्द्र	भृत्य	ई-ब्लॉक पुराना सचिवालय, भाप्राल	0755-2730873
11.	श्री ओमप्रकाश जशी	वाहन चालक (स्थायीकर्मि)	ई-ब्लॉक पुराना सचिवालय, भाप्राल	0755-2730873
12.	श्री नवेद खान	भृत्य (स्थायीकर्मि)	ई-ब्लॉक पुराना सचिवालय, भाप्राल	0755-2730873

**अधिकारियों/कर्मचारियों का पारिश्रमिक -**

स.क्र.	पदों का नाम	वेतनमान
1.	सचिव	संवर्ग वेतनमान
2.	निज सचिव	रू. 9300-34,800 ग्रेड पे 4200
3.	अनुसंधान अधिकारी	रू. 9300-34,800 ग्रेड पे 4200
4.	अनुभाग अधिकारी	रू. 9300-34,800 ग्रेड पे 4200
5.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	रू. 9300-34,800 ग्रेड पे 3200
6.	स्टेनोग्राफर	रू. 9300-34,800 ग्रेड पे 3600
7.	सहायक वर्ग - एक	रू. 5200-20,200 ग्रेड पे 2800
8.	सहायक वर्ग - दो	रू. 5200-20,200 ग्रेड पे 2400
9.	सहायक वर्ग-तीन	रू. 5200-20,200 ग्रेड पे 1900
10.	वाहन चालक	रू. 5200-20,200 ग्रेड पे 1900
11.	भृत्य	रू. 4400-7440 ग्रेड पे 1300
12.	वाहन चालक	रू. 4500-90-7500
13.	भृत्य	रू. 4000-80-7000

						(आंकड़े हजार रुपयों में)	
लेखा 2020-2021		बजट अनुमान 2021-2022		पुनरीकित अनुमान 2021-2022		बजट अनुमान 2022-2023	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
0	0	0	0	0	0	80.00	0
						जाने हेतु अनुदान	
						योग - योजना - (7237)	
						(8244) अल्प संख्यक - आयोग	
						(5401) - सचिव म. प्र. शासन पिछडा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग	
0	0	0	0	0	0		
						#11 - वेतन, भत्ते	
0	0	0	0	0	0	001 - वेतन	67.41 0
0	0	0	0	0	0	003 - महंगाई भत्ता	21.57 0
0	0	0	0	0	0	006 - मकान किराया भत्ता	4.50 0
0	0	0	0	0	0	008 - अन्य भत्ते	35 0
0	0	0	0	0	0	009 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50 0
0	0	0	0	0	0	011 - त्यौहार अग्रिम	30 0
0	0	0	0	0	0	012 - घटाईये वापसिया - त्यौहार अग्रिम	-30 0
0	0	0	0	0	0	016 - अनाज अग्रिम	20 0
0	0	0	0	0	0	017 - घटाईये वापसिया - अनाज अग्रिम	-20 0
0	0	0	0	0	0	018 - चिकित्सा अग्रिम	20 0
0	0	0	0	0	0	019 - घटाईये वापसिया - चिकित्सा अग्रिम	-20 0
0	0	0	0	0	0	025 - सचिदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक	25.00 0
0	0	0	0	0	0	028 - ग्रेड पे	15 0
0	0	0	0	0	0	योग- उद्देश्य शीर्ष - #11	1,19.48 0
0	0	0	0	0	0	#12 - मजदूरी	2.00 0
0	0	0	0	0	0	001 - वेतन	1.90 0
0	0	0	0	0	0	003 - महंगाई भत्ता	1.10 0
0	0	0	0	0	0	006 - मकान किराया भत्ता	18 0
0	0	0	0	0	0	008 - अन्य भत्ते	18 0
0	0	0	0	0	0	योग- उद्देश्य शीर्ष - #12	5.36 0
0	0	0	0	0	0	#21 - यात्रा भत्ता	
0	0	0	0	0	0	001 - यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	1.36 0
0	0	0	0	0	0	#22 - कार्यालय व्यय	
0	0	0	0	0	0	001 - डाक एवं तार व्यय	50 0
0	0	0	0	0	0	002 - दूरभाष व्यय	2.00 0
0	0	0	0	0	0	003 - कार्यालय फनीचर का क्रय	1.00 0
0	0	0	0	0	0	004 - पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	20 0

						(आंकड़े हजार रुपयों में)		
लेखा 2020-2021		बजट अनुमान 2021-2022		पुनरीकित अनुमान 2021-2022		बजट अनुमान 2022-2023		
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
0	0	0	0	0	0	005 - बिजली एवं जल प्रभार	1.00	0
0	0	0	0	0	0	006 - दफ्तियां	15	0
0	0	0	0	0	0	007 - लेखन सामग्री एवं फार्म	1.20	0
0	0	0	0	0	0	008 - अन्य आकस्मिक व्यय	1.20	0
0	0	0	0	0	0	009 - पेट्रोल, तेल आदि	3.00	0
0	0	0	0	0	0	010 - आतिथ्य पर व्यय	30	0
0	0	0	0	0	0	012 - मुद्रण एवं प्रकाशन	1.00	0
0	0	0	0	0	0	013 - कार्यालय उपकरणों का क्रय	10.00	0
0	0	0	0	0	0	<b>योग- उद्देश्य शीर्ष - #22</b>	<b>21.55</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	<b>#23 - वाहनों का क्रय</b>		
0	0	0	0	0	0	001 - नवीन वाहन का क्रय	1	0
0	0	0	0	0	0	<b>#24 - परीक्षा एवं प्रशिक्षण</b>		
0	0	0	0	0	0	002 - प्रशिक्षण	55	0
0	0	0	0	0	0	<b>#26 - सेमीनार, कार्यशाला, सम्मेलन</b>	<b>1.36</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	<b>#31 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां</b>		
0	0	0	0	0	0	003 - अभिभाषकों की फीस	1.00	0
0	0	0	0	0	0	005 - सुरक्षा व्यवस्था	90	0
0	0	0	0	0	0	006 - सफाई व्यवस्था	50	0
0	0	0	0	0	0	007 - परिवहन व्यवस्था	10.00	0
0	0	0	0	0	0	010 - अन्य	20	0
0	0	0	0	0	0	<b>योग- उद्देश्य शीर्ष - #31</b>	<b>12.60</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	<b>#33 - अनुरक्षण कार्य</b>		
0	0	0	0	0	0	002 - मशीन एवं उपकरण का अनुरक्षण	18	0
0	0	0	0	0	0	003 - वाहन अनुरक्षण	73	0
0	0	0	0	0	0	005 - अन्य	18	0
0	0	0	0	0	0	006 - फर्नीचर अनुरक्षण	1.50	0
0	0	0	0	0	0	<b>योग- उद्देश्य शीर्ष - #33</b>	<b>2.59</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	<b>#51 - अन्य प्रभार</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	<b>योग - योजना - (8244)</b>	<b>1,65.04</b>	<b>0</b>

(9408) मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल को अनुदान

(5401) - सचिव म. प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग

#42 - सहायक

## सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

- अभिलेखों का निरीक्षण।
- दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था।
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दिये गये प्रावधाननुसार कोई भी नागरिक सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- वार्षिक रिपोर्ट।

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, भोपाल के लिए नामांकित  
सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय  
अधिकारियों की अद्यतन सूची

स. क्र.	अधिकारी का नाम/ पदनाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी	फोन नम्बर/ ईमेल
1.	श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव	सहायक लोक सूचना अधिकारी	Ph. No. 0755-2730873 E-mail : shrivastava.sk@mp.gov.in
2.	सुश्री लता शरणागत	लोक सूचना अधिकारी	Ph. No. 0755-2730873 E-mail : secretary.mpsmc@mp.gov.in
3.	श्री गोपाल चन्द डाड	अपीलीय अधिकारी आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश	Ph. No.0755-2551517 E-mail : bcbplbcbplbcbpl@nic.in

**आरटीआई आवेदन एवं निराकरण**  
**दिनांक 01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022**

आवेदन		
कुल प्राप्त आवेदन	निराकृत	लंबित
14	14	निरंक

1. एक आवेदन अंतरित किया गया।

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996

(संशोधनों सहित)



मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग  
ई-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल-462001



## मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्र. 472, भोपाल मंगलवार, दिनांक 1 अक्टूबर 1996 - आश्विन 9, शके 1918

### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 15 सन् 1996

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996

#### विषय - सूची

धाराएं :-

#### अध्याय - 1 प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2. परिभाषाएं

#### अध्याय- 2 मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग

3. मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन
4. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें
5. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी
6. वेतन और भत्तों का अनुदानों में से संदाय
7. रिक्तियों, का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना
8. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना

#### अध्याय - 3 आयोग के कृत्य

9. आयोग के कृत्य

#### अध्याय -4 वित्त, लेखा और संपरीक्षा

10. राज्य सरकार द्वारा अनुदान
11. लेखे और संपरीक्षा
12. वार्षिक रिपोर्ट
13. वार्षिक रिपोर्ट का विधानसभा के समक्ष रखा जाना

#### अध्याय - 5 प्रकीर्ण

14. आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना
15. नियम बनाने की शक्ति
16. कठिनाइयों को दूरी करने की शक्ति

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 15 सन् 1996

### मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996

दिनांक 26 सितम्बर, 1996 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति 'मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)' में दिनांक 1 अक्टूबर, 1996 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।

राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के सैंतालिसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम है:-

#### अध्याय- 1 प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 है। संक्षिप्त नाम  
विस्तार और  
प्रारम्भ
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।
- (3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:- परिभाषाएं
  - (क) 'आयोग' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग
  - (ख) 'सदस्य' से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य
  - (ग) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये अल्पसंख्यक से अभिप्रेत है \*
    - (एक) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का सं. 19) के प्रयोजन के लिए इस रूप में अधिसूचित किया गया समुदाय या
    - (दो) राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया कोई समुदाय

#### अध्याय- 2 मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग

3. (1) राज्य सरकार एक निकाय का गठन करेगी जो मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगी और उसे समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करेगा मध्यप्रदेश  
राज्य अल्पसंख्यक  
आयोग का गठन
- (2) आयोग एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और चार सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें \*\*

\* मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम 2001 (क्रमांक 11 सन् 2001) के (स.प्र. राजपत्र-असाधारण- दिनांक 17 अप्रैल, 2001 में प्रकाशित) द्वारा धारा 2 के खण्ड (ग) में संशोधन किया जाकर कंठिका (दो) को सम्मिलित किया गया।

\*\* मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम 2002 (क्रमांक 4 सन् 2003) के (स.प्र. राजपत्र- असाधारण- दिनांक 31 जनवरी, 2003 में प्रकाशित) द्वारा धारा 3 में संशोधन किया जाकर शब्द 'दो सदस्यों' के स्थान पर शब्द 'चार सदस्यों' स्थापित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा विख्यात, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, परन्तु अध्यक्ष तथा एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे।

4. (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिसको कि वह पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।
- (2) अध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा राज्य सरकार को सम्बोधित करते हुए यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के पद को त्याग सकेगा।
- (3) राज्य सरकार उपधारा 2 में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी, यदि वह व्यक्ति-
- क. अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है,
- ख. किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्बलित है, दोष सिद्ध हो जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है,
- ग. विकृतचित्त हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है,
- घ. कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है,
- ङ. आयोग से अनुपस्थित रहने की अनुमति अभिप्राप्त किये बिना आयोग के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है, या
- च. राज्य सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहित में अपायकर हो गया है,

अध्यक्ष और  
सदस्यों की  
पदावधि और सेवा  
की शर्तें

परन्तु इस खण्ड के अधीन कोई व्यक्ति तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है।

- (4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति नये नाम निर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

- (5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि विहित की जाएं।
- आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी
5. राज्य सरकार आयोग के लिए एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जैसी कि इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिये आवश्यक है।
- वेतन और भत्तों का अनुदानों में से संदेय
6. अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं, धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय किए जाएंगे।
- रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना
7. आयोग के किसी कार्य या कार्यवाही को आयोग में केवल किसी रिक्ति के होने या उसके गठन में किसी त्रुटि के आधार पर प्रश्रुत नहीं किया जाएगा और न ही वह अविधिमान्य होगा।
- प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना
8. 1. आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा।  
2. आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।  
3. आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

### अध्याय - ३ आयोग के कृत्य

- आयोग के कृत्य
9. 1. आयोग निम्नलिखित समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्-
- क. राज्य के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना,
- ख. संविधान में और संसद तथा राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबंधित रक्षोपायों के कार्य को मानिटर करना,
- ग. राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा के लिए रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना,

- घ. अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के बारे में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करना और ऐसे मामलों को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समुचित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना,
- ङ. अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनको दूर करने के लिए अधुपायों की सिफारिश करना,
- च. अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से सम्बंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना
- छ. किसी अल्पसंख्यक समुदाय के सम्बंध में ऐसे समुचित अधुपाय का सुझाव देना जो राज्य सरकार द्वारा किए जाने चाहिए,
- ज. अल्पसंख्यकों से सम्बंधित किसी विषय पर और विशिष्टतया उन कठिनाइयों पर, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है राज्य सरकार को नियतकालिक या विशेष रिपोर्ट देना, और
- झ. कोई अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु यदि आयोग द्वारा की गई कोई सिफारिश राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य से सम्बंधित किसी मामले पर की गई सिफारिश के विरुद्ध है तो उस दशक में राज्य आयोग द्वारा की गई सिफारिश अर्धिभावी होगी।

2. आयोग को उपधारा (1) के उपखण्ड (ख) और (घ) में वर्णित कृत्यों में से किसी का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी,

अर्थात:-

- क. राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,
- ख. किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना,

- ग. शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना,
- घ. किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना
- ड. साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, और
- च. कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

### अध्याय - ४ - वित्त, लेखा और संपरीक्षा

राज्य सरकार  
द्वारा अनुदान

10. 1. राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त सम्यक विनियोग किये जाने के पश्चात आयोग को अनुदानों के रूप में उतनी धनराशि का संदाय करेगी जितनी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपयोग किए जाने के लिये ठीक समझे।
2. आयोग उतनी धनराशि खर्च कर सकेगा जितनी वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिये ठीक समझे और वह धनराशि उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों में से सदेय व्यय माना जाएगा।

लेखे और  
संपरीक्षा

11. 1. आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के महालेखाकार के परामर्श से विहित किया जाए।
2. आयोग के लेखाओं के संपरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तराल पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा से संबंधित कोई व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को सन्देय होगा।
3. महालेखाकार तथा उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बंध में नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो साधारणतया महालेखाकार को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के सम्बंध में होते हैं और विशिष्टतया बहियों, खातों,

सम्बंधित बाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज - पत्रों को पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

12. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण होगा, ऐसे प्रारूप में और ऐसी तारीख तक जैसा कि विहित किया जाए, तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।
13. राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ उसमें अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन और ऐसी सिफारिशों में से किसी के अस्वीकार करने के कारण, यदि कोई हों और संपरीक्षा रिपोर्ट, रिपोर्ट के प्राप्त होने, के पश्चात् यथासक्य शीघ्र विधानसभा के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट का  
विधानसभा के  
समक्ष रखा जाना.

#### अध्याय - 4 प्रकीर्ण

14. आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।
15.
  1. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।
  2. विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिये उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-
    - क. धारा 4 की उपधारा 5 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;
    - ख. धारा 9 की उपधारा 2 के खण्ड च के अधीन कोई अन्य विषय ;
    - ग. वह प्रारूप जिसमें धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन लेखा रखा जाएगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा,
    - घ. वह प्रारूप जिसमें और वह तारीख जिस तक वार्षिक रिपोर्ट धारा 12 के अधीन तैयार की जाएगी,

आयोग के अध्यक्ष  
सदस्यों और  
कर्मचारिवृन्द का  
लोक सेवक होना.

नियम बनाने की  
शक्ति

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

ड. कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए,

3. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

16. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

**भोपाल दिनांक 1 अक्टूबर 1996**

क्र. 8975 - इकीस - अ(प्रा.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अधिनियम, 1996 क्रमांक 15 सन् 1996 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
टी.पी.एस.पिल्लई, अतिरिक्त सचिव



## **MADHYA PRADESH ACT**

NO. 15 OF 1996

### **THE MADHYA PRADESH RAJYA ALPASANKHAYAK AYO ADHINYAM, 1996.**

#### **TABLE OF CONTENTS**

##### **Section :**

##### **CHAPTER - I PRELIMINARY**

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

##### **CHAPTER II - THE MADHYA PRADESH STATE COMMISSION FOR MINORITIES**

3. Constitution of the Madhya Pradesh State Commission for Minorities.
4. Terms of Office and conditions of service of Chairperson and Members.
5. Officers and other employees of the Commission.
6. Salaries and allowances to be paid out of grants.
7. Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of the Commission.
8. Procedure to be regulated by the Commission.

##### **CHAPTER III- FUNCTION OF THE COMMISSION**

9. Function of the Commission.

##### **CHAPTER IV - FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT**

10. Grants by the State Government.
11. Accounts and Audit.
12. Annual Report.
13. Annual Report to be laid before the Assembly.

##### **CHAPTER V - MISCELLANEOUS**

14. Chairperson, Members and Staff of the Commission to be public servants.
15. Power to make rules.
16. Power to remove difficulties.

## MADHYA PRADESH ACT

NO. 15 OF 1996

### THE MADHYA PRADESH RAJYA ALPASANKHAYAK AYO ADHINIYAM, 1996.

(Received the assent of the president of the 26th September, 1996 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 1st October, 1996.)

An Act to constitute a State Commission for Minorities and to provide for matter connected therewith of incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh State Legislature in the fortyseventh year of the Republic of India as follows:-

#### CHAPTER - I PRELIMINARY

*Short title  
extent and  
commence-  
ment*

1. (1) This Act may called the Madhya Pradesh Rajya Alpasankhyak Ayog Adhinyam, 1996.
- (2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

*Definitions.*

2. In this Act, unless the context otherwise requires:-
  - (a) "Commission" means the Madhya Pradesh State Commission for Minorities constituted under Section 3;
  - (b) "Member" means a Member of the Commission;
  - (c) "Minority" for the purpose of this Act, means \*
    - (1) A community notified as such by the Central Government for the purpose of the National Commission for minorities Act, 1992 (No. 19 of 1992).
    - (2) A community notified as such by the State Government.

*Constitution  
of the  
Madhya  
Pradesh  
State Com-  
mission for  
Minorities*

#### CHAPTER - II THE MADHYA PRADESH STATE COMMISSION FOR MINORITIES

3. (1) The State Government shall constitute a body to be known as the Madhya Pradesh State Commission for Minorities to exercise the power conferred on and to perform the function assigned to it under this Act.
- (2) The Commission shall consist of a Chairperson and Four members to be nominated by the State Government from amongst persons of eminece, ability and integrity: \* \*

\* (C) of section 2 has been amended by the Madhya Pradesh Rajya Alpasankhyak Ayog (Sansodhan) Adhinyam 2001 (no. of 2001) Published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) Dated 17th April, 2001

\* \* Sub section 2 of section 3 has been amended by the Madhya Pradesh Rajya Alpasankhyak Ayog (Sansodhan) Adhinyam 2002 (no. of 4 of 2003). Published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) Dated 31st January, 2003

Provided that the Chairperson and one member shall be from amongst the minority communities.

4. (1) The Chairperson and every member shall hold office for a term of three years from the date he assumes charge.
- (2) The Chairperson or a Member may, by writing under his hand addressed to the State Government, resign from the office of Chair person or, as the case may be, of the Member at any time.
- (3) The State Government shall remove a person from the office of Chairperson or a Member referred to in sub-section (2) if that person:-
  - (a) becomes an undischarged insolvent;
  - (b) is convicted and sentence to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involve moral turpitude;
  - (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;
  - (d) refuses to act or becomes incapable of acting;
  - (e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or
  - (f) has, in the opinion of the State Government so abused the position of Chairperson or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of minorities of the public interest;

Provided that no person shall be removed under this clause until he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.
- (4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh nomination.

*Terms of office and conditions of service of Chairperson and Members.*

*Officers and other employees of the Commission*

- (5) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson and members shall be such as may be prescribed.

*Salaries and allowances to be paid out of grants.*

5. The State Government shall provide the Commission with a secretary and such other officers and employees as may be necessary of the efficient performance of the functions of the Commission under this Act.

*Vacancies, etc, not to invalidate proceedings of the Commission.*

6. The salaries and allowances payable to the Chairperson and Members and the Administrative expenses, including salaries and allowances payable to the officers and other employees shall be paid out of the grants referred to the sub-section (1) of Section 10.

*Procedure to be regulated by the Commission*

7. No act or proceeding of the Commission shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the Constitution.

8. (1) The headquarters of the Commission shall be at Bhopal.

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Secretary in this behalf.

### **CHAPTER III- FUNCTION OF THE COMMISSION**

*Functions of the Commission.*

9. (1) The Commission shall perform all or any of the following functions, namely:-

(a) Evaluate the progress of the development of minorities under the state;

(b) Monitor the working of the safeguards provided in the Constitution and in laws enacted by the Parliament and the State Legislature;

(c) Make recommendations for the effective imple-

mentation of safeguards for the protection of the interests of minorities by the State Government.

- (d) Look into specific complaints regarding deprivation of rights and safeguards of the minorities and take up such matters with appropriate authorities under the control of the State Government.
  - (e) Cause studies to be undertaken into problems arising out of any discrimination against minorities and recommend measures for their removal;
  - (f) Conduct studies, research and analysis on the issue relating to socioeconomic and educational development of minorities;
  - (g) Suggest appropriate measures in respect of any minority to be undertaken by the State Government;
  - (h) Make periodical or special reports to the State Government;
  - (i) Any other matter which may be referred to it by the State Government; Provided that if any recommendation made by the Commission is repugnant to the recommendation made by the National Commission for Minorities on any matter relating to the State of Madhya Pradesh then recommendation made by the State Commission shall prevail.
- (2) The commission shall, while performing any of the functions mentioned in sub-clauses (a), and (d) of sub-section (1) have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely:-
- (a) Summoning and enforcing the attendance of

any person from any part of the State and examining him on oath;

- (b) Requiring the discovery and production of any document;
- (c) Receiving evidence on affidavits;
- (d) Requisitioning any public record or copy thereof from any office;
- (e) Issuing commission for examination of witnesses and documents; and
- (f) Any other matter which may be prescribed.

#### **CHAPTER IV - FINANCE ACCOUNTS AND AUDIT**

*Grants by  
the State  
Government*

- 10. (1) The State Government, shall after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the commission by way of grants such sums of money as State Government may think fit for being utilised for the purpose of this Act.
- (2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the function under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in subsection (1).

*Accounts  
and  
Audit.*

- 11. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of account in such form as may be prescribed by the State Government in consultation with the Accountant General, Madhya Pradesh.
- (2) The Account of the Commission shall be audited by the Accountant General at such intervals as may be specified by him and any expenditure in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Accountant General.
- (3) The Accountant General and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts

of the Commission under this Act shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Accountant General generally has connection with the audit of Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Commission.

12. The Commission shall prepare, in such form and by such date for each financial year, as may be prescribed, its annual report giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.

*Annual Report*

13. The State Government shall cause the annual report together with a memorandum of action taken on the recommendations contained therein, and the reasons for the non-acceptance, if any of such recommendations and the audit report to be Laid as soon as may be after the report is received, before the Legislative Assembly.

*Annual Report to be laid before the Assembly*

14. The Chairperson, Members and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code.

*Chairperson, Members and Staff of the Commission to be public servants.*

15. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

*Power to make Rules.*

(2) In Particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matter, namely:-

(a) Salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of service of the Chairperson and Members under sub-section

*Power to  
remove  
difficulties.*

- (5) of Section 4;
  - (b) any other matter under clause (f) of sub-section (2) of section 9;
  - (c) The form in which the account shall be maintained and the annual statement of account shall be prepared under sub-section (1) of Section 11;
  - (d) The form in and the date by which the annual report shall be prepared under section 12;
  - (e) Any other matter which is required to be or may be prescribed.
- (3) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after is made before the legislative Assembly.

16. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, by order published in the Official Gazette, Make such provisions, not inconsistent with the provisions of the Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.